**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1227**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**सुधार गृहों तथा विशेष गृहों हेतु निधि**

**1227. श्री दिलीप कुमार तिर्की:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

क्या सरकार कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले किशोरों को उचित ढंग से रखने हेतु प्रत्येक

जिले में सुधार गृहों तथा विशेष गृहों के निर्माण एवं अवसंरचना विकास के लिए निधि प्रदान करती है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम कार्यान्‍वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को प्रेक्षण एवं विशिष्‍ट गृहों सहित विभिन्‍न प्रकार के गृहों के निर्माण तथा उन्‍नयन के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

\*\*\*\*\*\*